

पर्या डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़
पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

ण संख्या - 72/2025

ान : -

नवेन्द्र सिंह पुत्र विशाल सिंह जाति राजपूत निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
वादी

बनाम्

विशालसिंह पुत्र हजारीसिंह
अनुकंवर पत्नी विशालसिंह
रणवीरसिंह पुत्र विशालसिंह

जाति राजपूत निवासीयान टिब्बी तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88,
राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

डिक्री

दिनांक 7/3/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी के समक्ष
वकील वादी श्री महेश गौड व वकील प्रतिवादी श्री सुनिल शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु
प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के
कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं० 5
जीजीआर के खाता सं० 3/4 व खाता सं० 51/50 व खाता सं० 143/104 व इसी चक के
खाता सं० 144/48, एवं खाता सं० 145/140 चक नं० 6 जीजीआर के खाता सं० 252/230
चक नं० 9 जीजीआर के खाता सं० 73/64 मे दर्ज प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 के नाम की आराजी
का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चक
नं० 5 जीजीआर के खाता सं० 3/4 मे से प्रतिवादीया सं० 2 अनुकंवर का नाम कलमजन, इसी
चक के खाता सं० 51/50 मे से अनुकंवर व विशालसिंह का नाम कलमजन, इसी चक के खाता
सं० 143/104, इसी चक के खाता सं० 144/48, इसी चक के खाता सं० 145/140 में से
विशालसिंह का नाम कलमजन, चक नं० 6 जीजीआर के खाता सं० 252/230 में से विशालसिंह
का नाम कलमजन तथा चक नं० 9 जीजीआर के खाता सं० 73/64 मे से प्रतिवादी सं० 1
विशालसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिए जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड
में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल
किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक
रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का रथगन आदेश नहीं
हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना
बहन करे। यह पर्या डिक्री आज दिनांक 7/3/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा
से जारी की गई।



(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी